निगरानी-0445/2019/विदिशा/भू.रा.18

न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म० प्र०

प्रकरण क्रमांक:- /१८-१९ अपील निग०

प्राणसिंह पुत्र रामलाल जाति रघुवंशी
आयु ८३ वर्ष निवासी ग्राम सांकलखेड़ा कलां
तहसील व जिला विदिशा : निग० कर्ता:

बनाम

प्रभुलाल पुत्र माधोसिंह जाति रघुवंशी
निवासी ग्राम सांकलखेड़ा कलां तहसील
व जिला विदिशा : निग० गृहिता :

अधि० न्याया० अपर आयुक्त भोपाल के
प्र० क्र० ६२२ अपील। १५-१६ में पारित
आदेश दिनांक १०-०२-२०१९ के विरुद्ध
निगरानी म० प्र० भू०रा० संहिता की
धारा ५० के अन्तर्गत।

माननीय महोदय,

निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न प्रकार है :-

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पा० ने एक आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय तहसील विदिशा में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सांकलखेड़ा कलां तहसील विदिशा की खा० नं० ७६६।१, ७६७।१, ७६८।१, कुल रकबा १-०७६ हे० में हिस्सा १।२ भाग पर भूमिस्वामी सहोदराबाई पत्नि चुन्नीलाल के स्थान पर उसका नामान्तरण वसीयतनामा के आधार पर किया जावे उक्त आवेदन अपीलान्ट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी परन्तु आपत्ति पर विचार किये बगैर ही तथा साक्ष्य का अवसर दिये बगैर

: शेष पृष्ठ दो पर :

ही एवं प्रकरण में चुपके चुपके तरीके से दिये शपथ पत्र पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये और ही तहसील विदिशा ने रेस्पाडेन्ट के पक्ष में नामान्तरण का आदेश पारित कर दिया उससे दुखी होकर अपीलान्ट ने एस०डी० ओ० महोदय विदिशा के यहां अपील प्रस्तुत की उक्त अपील प्र० क्र०२०अपील। १४-१५ से गतिशील रही तथा उसमे दि० ३०-५-१६ को आदेश पारित करके अधिनस्थ न्यायालय तहसील का आदेश निरस्त कर दिया तथा उपखंड अधिकारी विदिशा ने दर्शाया कि तहसील न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य नहीं ली सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है तथा आपत्ति का विधिवत निराकरण भी नहीं किया गया है तथ गवाहों पर प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है तथा वसियत की वैधता को प्रमाणित करना आवश्यक हो जो कि नहीं हुआ है इस कारण तहसील न्याया० का आदेश निरस्त कियाजाता है उक्त आदेश से दुखी होकर के अपर आयुक्त के यहां अपील की अपर आयुक्त भोपाल ने उक्त अपील में दिनांक ०४-०२-१६ को अस्वीकार किया गया तथा बाद में अपीलान्ट को बुलाये और ही दिनांक 94-०२-१६ को उक्त आदेश की त्रुटि बताकर अपील स्वीकार लिख दिया इस कारण उक्त आदेश से दुखी होकर के यह निगरानी प्रस्तुत है।

:: निगरानी के आधार ::

: शेष पृष्ठ तीन पर :

प्रार्थी

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरिनिवास" दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-445/2019/वि/ दि(21)/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-2019	आवेदक की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के लिपिकीय टंकण त्रुटि को सुधार के पारित आदेश दिनांक 10-2-2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के मूल आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें लिपिकीय त्रुटि है जिसे अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-2-2019 से सुधारा गया है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः इसके विरूद्ध निगरानी ग्राहय योग्य नहीं होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	